



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2()परावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/ट्रेप/बयाना/भरतपुर/2018/1236 जयपुर दिनांक:- 3.5.2018

-: आदेश :-

श्री समय सिंह, विकास अधिकारी, पंचायत समिति बयाना जिला भरतपुर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रिश्वत प्राप्त करते हुये दिनांक 26.2.2018 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में तफतीश जारी है।

अतः श्री समय सिंह को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13(1)(बी) के अन्तर्गत गिरफ्तारी दिनांक 26.2.2018 से निलम्बित (Deemed to have been suspended) किया जाता है, साथ ही श्री सिंह की विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवायें समाप्त कर इनके पैतृक विभाग (आयुर्वेद विभाग) को लौटायी जाकर श्री सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपनी उपस्थिति निदेशक, आयुर्वेद विभाग को प्रस्तुत करें अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

(इकबाल खान)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके परिपत्र दिनांक 14.12.2000, 10.8.2001 एवं 19.9.2013 के क्रम में आदेश की पुष्टि करने हेतु प्रेषित है।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर।
9. संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त, भरतपुर।
11. जिला कलक्टर, भरतपुर।
12. अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भरतपुर।
13. अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर।
14. विकास अधिकारी पंचायत समिति बयाना जिला भरतपुर।
15. श्री समय सिंह, विकास अधिकारी, पंचायत समिति बयाना जिला भरतपुर को पालनार्थ।
16. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
17. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)